

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1965]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936

No. 1965]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

आय-कर

का.आ. 2487(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. आयकर नियम, 1962 में,—
(क) नियम 28क के उपनियम (4) और उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(4) कर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र, केवल कर की कटौती के लिए उत्तरदायी और उसमें नामित व्यक्ति के लिए ही विधिमान्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है, सलाह के अधीन कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सीधे जारी किया जाएगा।

(6) निम्नतर दर पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है, निम्नतर दर पर कर की कटौती के पश्चात् आय या राशि प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा।";

(ख) परिशिष्ट-II में, प्ररूप सं. 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप सं. 13

[नियम 28 और 37छ देखिए]

कर की कटौती/कर का संग्रहण न करने या किसी निम्नतर दर पर कर की कटौती/संग्रहण के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 197 और/अथवा 206ग(9) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन।

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

मैं,....., निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे वेतन/प्रतिभूतियों पर ब्याज/ “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज/बीमा कमीशन/कमीशन (जो बीमा कमीशन नहीं है) या लाटरी टिकटों के विक्रय पर दलाली/कमीशन आदि/वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय/राशि का ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान के रूप में किसी राशि/लाभांशों/किराए/यूनिटों की बाबत आय का/स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय के रूप में राशि का (जो लागू न हो उसे काट दें) संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, उसे ऐसी आय/राशि का मुझे भुगतान करने के समय आय-कर की कटौती न करने के लिए प्राधिकृत करने संबंधी एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मेरी आय की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे पैरा 2 के अनुसार हैं।

और/या

मैं,..... निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे.....प्रतिशत की दर पर आयकर की कटौती करने के पश्चात् वेतन /प्रतिभूतियों पर ब्याज/ “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज/बीमा कमीशन/कमीशन (जो बीमा नहीं है) या लाटरी टिकटों के विक्रय पर दलाली/कमीशन आदि/वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीस के रूप में आय/राशि का/ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान के रूप में कोई राशि/लाभांशों/किराए/यूनिटों की बाबत आय का/स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय के रूप में राशि का (जो लागू न हो उसे काट दें) एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मेरी आय की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे पैरा 2 के अनुसार हैं।

और/या

मैं,.....निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि
विक्रेता को, जो मेरे द्वारा.....(धारा 206ग की उपधारा (1) में की सारणी में
 निर्दिष्ट माल की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)के क्रेता के रूप में
 (धारा 206ग की उपधारा (1ग) में की सारणी में निर्दिष्ट संविदा या
 अनुज्ञप्ति या पट्टे की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) के पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में [जो लागू न हो उसे काट दें] संदेय
 राशि की बाबत मेरे से कर संग्रहीत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है, यथास्थिति मेरे खाते में ऐसी राशि नामे
 डाले जाने के समय या मेरे से उसकी प्राप्ति के समय.....प्रतिशत की दर से आय कर संग्रहीत करने के
 लिए प्राधिकृत करने संबंधी एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मेरी आय की विशिष्टियाँ और अन्य व्यौरे पैरा 2 के
 अनुसार हैं।

2. मेरी आय की विशिष्टियाँ और अन्य व्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) प्रास्थिति

(बताएं क्या व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि निकाय, कंपनी आदि है)

(ii) निवासीय प्रास्थिति

(क्या निवासी है/निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं है/अनिवासी है)

(iii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन)

(iv) कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टेन)

(v) विवरणियों/विवरणों के व्यौरे, जो देय हैं किन्तु फाइल नहीं किए गए हैं :

वह धारा जिसके अधीन विवरणी/ विवरण देय हो गई है	निर्धारण तिमाही	वर्ष/ नियत तारीख	फाइल करने के लिए नियत तारीख	फाइल नहीं किए जाने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	
धारा 139				
धारा 200				
धारा 206ग				

(vi) अंतिम तीन निर्धारण वर्ष की लौटाई गई आय/निर्धारित आय के ब्यौरे :

(फाइल की गई आय की विवरणियों की प्रतियां उनके संलग्नक के साथ संलग्न करें और अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के निर्धारण आदेशों, यदि निर्धारण किया गया है, की प्रतियां)

निर्धारण वर्ष	आय की विवरणी के अनुसार कुल आय	अंतिम निर्धारण के अनुसार कुल आय	कुल कर, जिसमें वापस की गई आय पर संदेय ब्याज भी सम्मिलित है	कुल कर जिसमें निर्धारण की गई आय पर संदेय ब्याज भी सम्मिलित है,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(vii) अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के लिए कर संदाय का ब्यौरा :

निर्धारण वर्ष	कुल कर का भुगतान कर जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है	अग्रिम कर के रूप में संदत्त कर	स्रोत पर काटे गए कर के लिए दावा किया गया प्रत्यय	स्रोत पर संग्रहण किए गये कर के लिए दावा किया गया प्रत्यय	स्वनिर्धारण कर के रूप में संदत्त कर	धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के उत्तर में संदत्त कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(viii) उस निर्धारिती की दशा में पिछले तीन पूर्व वर्षों के लिए विक्रय, लाभ आदि के ब्यौरे जिसकी आय में शीर्ष “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” के अधीन आय सम्मिलित है :

(पिछले तीन पूर्व वर्षों के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि संपरीक्षा की गई हो, के साथ लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र की प्रतियां संलग्न करें)

पूर्व वर्ष	कारबार या वृत्ति की कुल विक्रय, व्यापरावर्त प्राप्ति	कुल लाभ		शुद्ध लाभ	
		रुपए में	स्तंभ (1) में कथन की गई रकम प्रतिशत में	रुपए में	स्तंभ (1) में कथन की गई रकम प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ix) आय-कर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन विद्यमान दायित्व के ब्यौरे :

निर्धारण वर्ष/अवधि	आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन दायित्व				धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन संदेय रकम
	अग्रिम कर के संबंध में संदेय रकम	स्वतः निर्धारण कर के लिए संदेय रकम	रकम जिसके लिए धारा 156 के अधीन मांग की सूचना की तामील हो गई है किन्तु संदत्त नहीं की गई है	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता के रूप में संदेय रकम जो शोध्य हो गई थी किन्तु संदत्त नहीं की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(x) निर्धारण वर्ष जिससे संदाय संबंधित हैं

(xi) ऊपर (x) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की प्राक्कलित कुल आय

(विस्तृत संगणना और उसका आधार बताएं)

(xii) (xi) में दी गई आय पर संदेय ब्याज सहित कुल कर

(xiii) स्तंभ (ix) और स्तंभ (xii) में उल्लिखित दायित्व को किस प्रकार उन्मोचित किया जाना प्रस्तावित है ?

(xiv) वर्तमान पूर्व वर्ष से आज तारीख तक संगत निर्धारण वर्ष के लिए अग्रिम कर और पहले ही कटौती किए गए/संग्रहीत कर के संदाय के ब्यौरे

पूर्व संदत्त कर की प्रकृति	संदाय/कटौती/संग्रहण की तारीख
अग्रिम कर	
स्रोत पर कर कटौती	
स्रोत पर कर संग्रहण	

(xv) स्तंभ (xi) में छूट दिए जाने के लिए दावा की गई और कुल आय में सम्मिलित न की गई आय के ब्यौरे (कृपया ऐसी छूट का दावा करने के कारण देने वाला एक टिप्पण उपाबद्ध करें)

(xvi) कृपया कर की कटौती न करने या, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम की धारा 197 के अधीन निम्नतर दर पर कर की कटौती करने की बाबत विशिष्टियां उपाबंध 1 में ; या धारा 197 के अधीन निम्नतर दर पर कर की कटौती की बाबत जहां यह अनुरोध किया जाता है कि प्रमाणपत्र नियम 28कक के उपनियम (6) के अधीन जारी किया जाता है और/अथवा धारा 206ग(9) के अधीन निम्नतर दर पर कर के संग्रहण की बाबत विशिष्टियां उपाबंध 2 में प्रस्तुत करें।

*मैं.....जोका न्यासी/सह न्यासी हूं, यह घोषणा करता हूं कि उपाबंध में जिन प्रतिभूतियों/राशियों/शेयरों (अंशों) की विशिष्टियां दी गई हैं, वे न्यास के अंतर्गत पूर्णतया पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए समुचित रूप से रखी हुई हैं और यह कि उनसे होने वाली आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और धारा 13 के अधीन छूट के लिए अर्हक है।

*मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर अनुसूचियों में जिन प्रतिभूतियों/राशियों/शेयरों की विशिष्टियां दी गई हैं, वे मेरे नाम में हैं और फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं तथा उससे होने वाली आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह सही है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

पता.....

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

उपाबंध 1

[स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए]

कृपया उन संदायों की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई अनुसूचियों में विशिष्टियां प्रस्तुत करें,-

अनुसूची 1

प्रतिभूतियों का वर्णन	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों की तारीख	प्रतिभूतियों की रकम	प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची 2

क्रम सं.	उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे ब्याज पर राशियां दी गई हैं	ऐसी राशियों की रकम	वह तारीख, जिसको ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई	वह अवधि, जिसके लिए ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई	ब्याज की दर	प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 3

क्रम सं.	बीमा कमीशन का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	बीमा कमीशन की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 4

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	शेयरों की संख्या	शेयरों का वर्ग और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की सुभिन्न संख्यांक	प्राप्त किए जाने वाले लाभांश की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्रम सं.	नियोजक का नाम और पता	नियोजन की अवधि	प्राप्त वेतन की रकम	गृह संपत्ति से आय	वेतन और गृह संपत्ति से आय से भिन्न स्रोतों से आय	अनुमानित कुल आय

अनुसूची 6

क्रम सं.	किराये का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त किए जाने वाले किराये की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 7

क्रम सं.	पारस्परिक निधि का नाम और पता	यूनिटों की संख्या	यूनिटों का वर्ग और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिटों का कुल अंकित मूल्य	यूनिटों की सुभिन्न संख्यांक	प्राप्त की जाने वाली आय की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 8

क्रम सं.	कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त की जाने वाली कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 9

क्रम सं.	उस प्राधिकारी/व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसके साथ संविदा की गई थी	संविदा की तारीख	संविदा की प्रकृति	वह तारीख जिसको संविदा में का कार्य पूरा होगा	चालू वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों में से प्रत्येक के दौरान संविदा के अनुसरण में जमा/संदत्त की जाने के लिए संभावित राशियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची 10

क्रम सं.	लाटरी की टिकटों की बिक्री पर कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता	प्राप्त की जाने वाली कमीशन/पारिश्रमिक/पुरस्कार की अनुमानित रकम (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 11

क्रम सं.	वृत्तिक/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता (पते)	वृत्तिक/तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त की जाने फीस की अनुमानित रकम (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 12

क्रम सं.	उस व्यक्ति का नाम और पता, जो प्रतिकर या बढ़ाए गए प्रतिकर या प्रतिफल या बढ़ाए गए प्रतिफल का स्थावर संपत्ति के अनिवार्य अर्जन किए जाने के कारण संदाय करने के लिए उत्तरदायी है	प्रतिकर या बढ़ाए गए प्रतिकर या प्रतिफल या बढ़ाए गए प्रतिफल की प्राक्कलित रकम
(1)	(2)	(3)

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

पता.....

उपाबंध 1-क

[स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए]

कृपया उन संदायों की बाबत नीचे दी गई अनुसूची में विशिष्टियां दें जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है :

अनुसूची

क्र.सं.	संदाय की प्रकृति	प्राप्त की जाने वाली आयों/राशियों की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

तारीख.....

..... (हस्ताक्षर)

स्थान.....

..... (पता)

उपाबंध 2

[स्रोत पर कर के संग्रहण के प्रयोजन के लिए]

कृपया उन संदेय रकमों की विशिष्टियां दें जिनके लिए नीचे दी गई 'अनुसूचियों' में प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है :

अनुसूची 1

क्रम सं.	विक्रेता का पूरा नाम और पता	विक्रय की तारीख ऐसे विक्रय के निर्देश सं. सहित	विक्रीत माल की प्रकृति और वर्णन तथा विक्रय के ब्यौरे	चालू वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विक्रय के अनुसरण में नाम डाले जाने वाली/संदत्त की जाने वाली संभावित रकमें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची 2

क्रम सं.	उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसे पट्टा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है	पट्टा या अनुज्ञप्ति या संविदा या अधिकार का अंतरण अनुदत्त करने की तारीख संदर्भ संख्या सहित	संविदा या अनुज्ञप्ति या पट्टा की प्रकृति और संविदा का वर्णन और ब्यौरे	चालू वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान संविदा के अनुसरण में नाम डाले जाने वाली/संदत्त किए जाने के लिए आशयित रकमें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख.....

.....

क्रेता के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम.....

[अधिसूचना सं. 46/2014, फा.सं.133/10/2014-टीपीएल]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आय-कर अधिसूचना सं. का.आ. 2399(अ) तारीख 16/09/2014 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2014

INCOME-TAX

S.O. 2487(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 197 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (9th Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in rule 28AA, for sub-rule (4) and sub-rule (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(4) The certificate for no deduction of tax shall be valid only with regard to the person responsible for deducting the tax and named therein.

(5) The certificate referred to in sub-rule (4) shall be issued direct to the person responsible for deducting the tax under advice to the person who made an application for issue of such certificate.

(6) The certificate for deduction of tax at lower rate shall be issued to the person who made an application for issue of such certificate, authorising him to receive income or sum after deduction of tax at lower rate.”;

(b) in Appendix-II, for Form No.13, the following Form shall be substituted, namely:—

“Form No.13
[See rules 28 and 37G]
Application by a person for a certificate under sections 197
and/or 206C(9) of the Income-tax Act, 1961, for no
***deduction/collection of tax or *deduction/**
collection of tax at a lower rate

To,

The Assessing Officer,

1.*I,of..... do, hereby, request that a certificate may be issued to the person responsible for paying to me the incomes/sum by way of salary/interest on securities/interest other than "interest on securities"/insurance commission/commission (not being insurance commission) or brokerage/commission, etc., on the sale of lottery tickets/fees for professional or technical services/any sum by way of payment to contractors and sub-contractors/dividends/rent/income in respect of units/sum by way of payment of compensation on acquisition of immovable property (strike out whichever is not applicable) authorising him not to deduct income-tax at the time of payment to me of such income/sum. The particulars of my income and other details are as per para 2.

and/or

*I,ofdo, hereby, request that a certificate may be issued to me for receiving the incomes/sum by way of salary/interest on securities/interest other than "interest on securities"/insurance commission/commission (not being insurance commission) or brokerage/commission, etc., on the sale of lottery tickets/fees for professional or technical services/any sum by way of payment to contractors and sub-contractors/dividends/rent/income in respect of units/sum by way of payment of compensation on acquisition of immovable property (strike out whichever is not applicable) after deduction of income-tax at the rate of..... per cent. The particulars of my income and other details are as per para 2.

and/or

*I, of do, hereby, request that a certificate may be issued to the seller, being the person responsible for collecting the tax from me in respect of the amount payable by me as the buyer of [specify the nature of goods referred to in the Table in sub-section (1) of section 206C]/lessee or licensee of [specify the nature of contract or licence or lease referred to in the Table in sub-section (1C) of section 206C] (Strike out whichever is not applicable) authorizing him to collect income-tax at the rate of per cent at the time of debit of such amount to my account or receipt thereof from me, as the case may be. The particulars of my income and other details are as per para 2.

2. The particulars of my income and other details are as under :

- (i) Status
(State whether individual, Hindu undivided family, firm, body of individuals, Company, etc.)
- (ii) Residential status
(Whether resident / resident but not ordinarily resident/ non-resident)
- (iii) Permanent Account No. (PAN)
- (iv) Tax Deduction and Collection Account No. (TAN)
- (v) Details of returns/statements which have become due but have not been filed :

Section under which return/statement become due	Assessment year/quarter	Due date for filing	Reason for not filing
(1)	(2)	(3)	(4)
Section 139			
Section 200			
Section 206C			

- (vi) Details of returned income/ assessed income for the last three assessment years:
(enclose copies of returns of income filed alongwith their enclosures and copies of assessment orders, if assessed, for the last three assessment years.)

Assesment year	Total income as per return of income	Total income as per latest assessment	Total tax including interest payable on returned income	Total tax including interest payable on assessed income
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(vii) Details of tax payment for the last three assessment years :

Assessment year	Total payment of tax including interest	Tax paid by way of Advance tax	Credit claimed for tax deduction at source	Credit claimed for tax collection at source	Tax paid by way of self assessment tax	Tax paid in response to notice of demand under section 156
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(viii) Details of sales, profit, etc. for the last three previous years in the case of assessee whose income include income under the head "Profits and gains of business or profession": (enclose copies of profit and loss account and balance sheet along with audit report, if audited, for the last three previous years)

Previous year	Gross sales, turnover receipt of business or profession	Gross profit		Net profit	
		In rupees	In percentage to amount stated in column (1)	In rupees	In percentage to amount stated in column (1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ix) Details of existing liability under Income-tax Act, 1961 and Wealth-tax Act, 1957:

Assessment Year/ period	Liability under the Income-tax Act, 1961				Amount payable under the Wealth-tax Act, 1957
	Amount payable in respect of advance-tax	Amount payable for self- assessment tax	Amount for which notice of demand under section 156 has been served but not paid	Amount payable as deductor or collector which had become due but not paid	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(x) Assessment year to which the payments relate

(xi) Estimated total income of the previous year relevant to the assessment year referred to in (x) above (give detailed computation and basis there of)

(xii) Total tax including interest payable on the income at (xi)

(xiii) How the liability mentioned in col. (ix) and col. (xii) is proposed to be discharged?

(xiv) Details of payment of advance-tax and tax already deducted/collected for the assessment year relevant to the current previous year till date.

Nature of prepaid tax	Date of payment/deduction/collection
Advance tax	
TDS	
TCS	

(xv) Details of income claimed to be exempt and not included in the total income in col. (xi) (Please append a note giving reason for claiming such exemption).

- (xvi) Please furnish the particulars in Annexure-I in respect of no deduction of tax under section 197 where it is requested that certificate is to be issued under sub-rule (4) of rule 28AA; or in Annexure -I-A in respect of deduction of tax at a lower rate under section 197 where it is requested that the certificate is to be issued under sub-rule (6) of rule 28AA and/or in Annexure-II for collection of tax at lower rate under section 206C(9) of the Income-tax Act, as the case may be.

*I, _____ the trustee/co-trustee of _____ do hereby declare that the securities/sums/shares, particulars of which are given in the Annexure, are properly held under trust wholly for charitable or religious purposes and that the income therefrom qualifies for exemption under sections 11 and 13 of the Income-tax Act, 1961.

*I declare that the securities/sums/shares, particulars of which are given in the Schedules above, stand in my name and are beneficially owned by me, and the income therefrom is not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that what is stated in this application is correct.

Date

.....

Place

Signature

.....

.....

Address

*Strike out whichever is not applicable.

ANNEXURE I

[For the purpose of tax deduction at source]

Please furnish the particulars in the Schedules below in respect of the payments for which the certificate is sought, —

SCHEDULE I

Description of securities	Number of securities	Date of securities	Amount of securities	Estimated amount of interest to be received
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

SCHEDULE II

Sl. No.	Name and address of the person to whom the sums are given on Interest	Amount of such sums	The date on which such sums were given on interest	Period for which such sums were given on Interest	Rate of interest	Estimated amount of interest to be received
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SCHEDULE III

Sl. No	Name and address of person responsible for paying insurance commission	Estimated amount of insurance commission
(1)	(2)	(3)

--	--	--

SCHEDULE IV

Sl. No.	Name and address of the company	No. of shares	Class of shares and face value of each share	Total face value of shares	Distinctive numbers of shares	Estimated amount of dividend to be received
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SCHEDULE V

Sl. No.	Name and address of the employer	Period of employment	Amount of salary received	Income from house property	Income from sources other than salary and income from house property	Estimated total income
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SCHEDULE VI

Sl. No.	Name and address of person responsible for paying rent	Estimated amount of rent to be received
(1)	(2)	(3)

SCHEDULE VII

Sl. No.	Name and address of the mutual fund	No. of units	Classes of units and face value of each unit	Total face value of units	Distinctive numbers of units	Estimated amount of income to be received
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SCHEDULE VIII

Sl. No.	Name and address of person responsible for paying commission (not being insurance commission referred to in section 194D) or brokerage.	Estimated amount of commission (not being insurance commission referred to in section 194D) or brokerage to be received
(1)	(2)	(3)

SCHEDULE IX

Sl. No.	Full name and address of the authority/person with whom the contract was made	Date of the contract	Nature of the contract	Date by which work on the contract would be completed	Sums expected to be credited / paid in pursuance of the contract during the current previous year and each of the three immediately succeeding years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

SCHEDULE X

Sl. No.	Name and address of person(s) responsible for paying commission, remuneration or prize (by whatever name called) on the sale of lottery tickets	Estimated amount of commission/remuneration/prize to be received (strike out whichever is not applicable)
(1)	(2)	(3)

SCHEDULE XI

Sl. No.	Name and address of person(s) responsible for paying fees for professional/technical services	Estimated amount of fees for professional/technical services to be received (strike out whichever is not applicable)
(1)	(2)	(3)

SCHEDULE XII

Sl. No.	Name and address of person responsible for paying compensation or enhanced compensation or the consideration or enhanced consideration on account of compulsory acquisition of immovable property	Estimated amount of compensation or the enhanced compensation or consideration or the enhanced consideration
(1)	(2)	(3)

Date.....

Place

.....
(Signature).....
.....
(Address)

ANNEXURE I-A**[For the purpose of tax deduction at source]**

Please furnish the particulars in the Schedule below in respect of the payments for which the certificate is sought, —

SCHEDULE

Sl. No.	Nature of payment	Estimated amount of incomes/sum to be received
(1)	(2)	(3)

.....
(Signature)

Date.....

Place

.....
.....
.....
(Address)**ANNEXURE II****[For the purpose of tax collection at source]**

Please furnish particulars of the amounts payable in respect of which the certificate is sought in the schedules below:—

SCHEDULE I

Sl. No.	Full name and address of the seller	Date of sale with reference number of such sale	Nature and description of the goods sold and details of sale	Amounts expected to be debited/ paid in pursuance of the sale during the current financial year and each of the three immediately succeeding years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

SCHEDULE II

Sl. No.	Full name and address of the person granting lease or licence	Date of grant of lease or licence or contract or transfer of right with reference number	Nature of contract or licence or lease and description and details of the contract	Amounts expected to be debited/ paid in pursuance of the contract during the current financial year and each of the three immediately succeeding years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date

.....
Signature of the buyer

Full Name.....

Designation

[Notification No. 46/2014/ F.No.133/10/2014-TPL]

RAJESH KUMAR BHOOT, Director (TPL)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number S.O. 2399(E), dated the 16.09.2014.